P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-5* August- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

(The Role of Self Help Group in Women Empowerment)

नवल सिंह राजपूत
सहायक आचार्य,
उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क,
जनार्दनराय नागर राजस्थान,
विद्यापीठ, विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान

सारांश

हमारे देश में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को संगठित करने के कई प्रयास किये गये है। यह प्रयास कही आर्थिक मुद्दों पर तो कही सामाजिक मुद्दों पर किये गये है। स्वयं सहायता समूह से महिलाओं एवं कमजोर वर्गो में धीरे–धीरे निर्णय लेने एवं नई बात सीखने का विकास होता है। स्वयं सहायता समूह पारस्परिक सहयोग तथा स्वयं के प्रयास से अपने ससाधनों तथा क्षमताओं को विकसित करने की रणनीति है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, समूह की महिला सदस्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों से लाभान्वित होकर अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में विकास किया है। गरीबी की तीव्रता को कम करने के साथ–साथ लैंगिक व सामाजिक–आर्थिक समानता को भी बढ़ावा मिला है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकजुटता और जागरूकता जैसी रणनीतियों का विकास हुआ है। महिलाएँ अब काकी हद तक सशक्त हुई हैं। विकास कार्यक्रमों व गतिविधियों की निगरानी, नियोजन व क्रियान्वयन में भी महिलाएँ भाग लेने लगी है। अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के उत्थान के लिए बचत, आंतरिक ऋण, व आय सृजन की विभिन्न गतिविधियों की शुरूआत कर, आत्मनिर्भरता के मार्ग की ओर प्रशस्त हुई है।

मुख्य शब्द : समता, समानता, स्वतन्त्रता, महिला, सशक्तिकरण, क्षमता, अधिकार, विकास।

प्रस्तावना

भारत विभिन्नताओं व विषमताओं से परिपूर्ण राष्ट्र है। इस विभिन्नताओं व विषमताओं को भारतीय समाज में भी देखा जा सकता है। पुरुष व महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक जीवन में भी असमानताओं को सहज रूप से देखा जा सकता है। समाज में महिलाओं के स्तर एवं स्थिति को सुधारने एवं उनके शोषण एवं शोषण वादी कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में कई प्रकार की महिला कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही है। इनमें से कुछ योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा जबकि कुछ योजनाएँ भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। इन सभी योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बल प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूह गठन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा शक्तिशाली वह उच्च गुणवत्ता का महिला संगठन तैयार करना है। जिसमें कमजोर वर्ग अपन विकास व हित की बात दृढ़तापूर्वक सामूहिक रूप से कह सके। स्वयं सहायता समूह आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराने, परम्परागत ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाने, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का विकास करने तथा ग्रामीण कुटीर व लघु उद्योगों का विकास करने के लिए बनाये जाते हैं। जिससे महिलाओं में स्वाभिमान व आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है। जिसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन मूलतः छोटी–छोटी बचतों से शुरू किया जाता है। यह बचत राशि महिला की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में दी जाती है। इस ऋण को एक निश्चित अवधि में ब्याज सहित खाते में लौटाना पड़ता है जिससे कि महिलाओं की आय व साख में भी वृद्धि होती है।

साहित्यावलोकन

इस क्षेत्र में हुए विभिन्न अध्ययनों का सार संक्षेप में अधोलिखित है–

मधुसुदन त्रिपाठी (2012) ने अपने अध्ययन में पाया हैं कि सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों से महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। स्वयं सहायता समूह से महिलाओं की बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। साथ ही बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि का अधिकांश उपयोग कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, पापड़ बनाना,

मोमबत्ती बनाने आदि अनेक आर्थिक क्रियाकलाप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अनिल कुमार (2011) ने अपनी कृति में बताया हैं कि स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों की विभिन्न अवसरों जैसे शादी के समय, बीमारी के उपचार, मकान बनाने व मरम्मत हेतु, अनाज, चारे, बीज सहित अन्य कृषि कार्यों, बच्चों की शिक्षा, परिवार में किसी के जन्म/मृत्यु इत्यादि के समय ऋण लेने की आवश्यकता आसानी से पुरी होती है। डॉ. ए. एन. मारवीजा (2013) ने अपने अध्ययन में बताया कि स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत महिलाओं को तकनीकी जानकारी, वित्तीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरणा दी जाती है। उमरे निर्मला (2013) ने अपने अध्ययन में पाया हैं कि राजानादगाँव की महिला स्वयं सहायता समूहों ने हजारों गरीब परिवारों की महिलाओं को घर की चौखट के बंधन से मुक्त करके बाहर निकाला है तथा उन्हें महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सक्षम भी बनाया है। इस कार्य में सहकारी केन्द्रीय बैंक ने ऋण उपलब्ध कराकर महिला स्वयं सहायता समूह के संवर्धन में सम्यक् भूमिका निभाई है। मन्जू माडोंत (2016) ने अपने लेख में बताया है कि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर के द्वारा संचालित सामुदायिक जन शिक्षण केन्द्र द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण व उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से अनेक स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ सिलाई, बंधेज, पापड़ बनाना आदि अनेक आर्थिक गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रही है। जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके।

उपरोक्त सम्बन्धित साहित्य का गहन अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक एकजुटता, समुदाय एकजुटता आदि स्वयं सहायता समूह के उपकरण रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्वयं सहायता समुह के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के स्तर व प्रकृति का पता लगाना।
2. स्वयं सहायता समुह के कारण महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक जीवन में आये परिवर्तनों व प्रभावों का पता लगाना।

शोध पद्धति

शोध प्रारूप

प्रस्तुत शोध अध्ययन का शोध प्रारूप विवरणात्मक व अन्वेषणात्मक प्रकृति का है।

अध्ययन क्षेत्र व सामग्री

प्रस्तुत अनुसंधान में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत उदयपुर जिले का चयन किया गया है। उदयपुर जिले के अन्तर्गत भीण्डर व लसाड़िया पंचायत समिति का चयन उद्देश्यात्मक प्रतिचयन विधि के आधार पर किया गया है। अध्ययन को प्रभावी व सार्थक बनाने के लिये एक पंचायत सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र (लसाड़िया) तथा दूसरी पंचायत समिति के रूप में सामान्य वर्ग के क्षेत्र (भीण्डर) को चुना गया है। इसी प्रकार उन समस्त स्वयं सहायता समूह को लिया गया है जिसकी स्थापना पिछले 6 वर्षों में हुई है।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूह ''एक सबके लिए व एक के लिए सब'' के सिद्धान्त पर कार्य करती है। स्वयं सहायता समुह एक ऐसा कार्यक्रम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसके अन्तर्गत निम्नस्तर की महिलाओं को प्रभावी रूप से जोड़ा जा रहा है। इस समूह द्वारा महिलाएँ अपनी छोटी–छोटी बचतों को जमा कर रही है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक एकजुटता, समुदाय एकजुटता आदि स्वयं सहायता समूह के महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों तथा सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श व समाधान, स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों का चयन सर्वसहमति द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी का कार्यकाल सामान्यतः 1 वर्ष तक रहता है। समूह में बैठक का आयोजन मासिक होता है। अधिकांश उत्तरदाता महिला सदस्य पाँच या छः वर्ष से समूह से जुड़ी है। एक बार में सर्वाधिक 1 या 2 महिलाओं को ही ऋण प्रदान किया जाता है जो समस्या/आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। समूह में जुड़ने के लिए प्रेरककर्ता के रूप में साथी महिला व गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन के दौरान पाया कि जैसे जैसे समूह पुराने होते जा रहे है, वैसे वैसे उनका समूह की वर्तमान कार्यप्रणाली से असंतोष भी बढता जा रहा है जो एक गम्भीर विचारणीय बिन्दू है तथा उनके असंतोष को दूर करने के लिए समयानुसार समूह की वर्तमान कार्यप्रणाली व व्यवस्थाओं को और दुरूस्त करने की आवश्यकता है। यदि इस और अब भी ध्यान न दिया गया तो स्वयं सहायता समुह का निर्माण जिस अवधारणा के साथ किया गया था उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अधितकतर महिलाएँ धनोपार्जन सम्बन्धी कार्य कर रही है। इनमे वे महिलाएँ भी शामिल है जो अपने स्वयं के खेत पर कृषि कार्य करती है। महिलाओं में कार्य करने का प्रमुख प्रकार पशुपालन पाया गया है। अन्य कार्य के प्रकारों में दुकान चलाना, सब्जी बेचना, घरेलु कार्य करना, चक्की चलाना, मुर्गीपालन, सिलाई करना एवं पशुओ की देखभाल करना पाया गया है। समुह द्वारा विभिन्न महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी सदस्यो को प्रदान की जाती है। चूंकि समुह बैक से जुडे होते है इस कारण सदस्यो को बैक से प्राप्त ऋण सुविधाए के बारे में सबसे अधिक जानकारी पायी गयी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मल्होत्रा राकेश, ''स्वयं सहायता समूह–एक व्यावहारिक, मार्गदर्शिका'', एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नाईस प्रिंटर्स दिल्ली, 2007, पृ. सं. 3–8

2. गोयल सुरेश, ''स्वयं सहायता समूहों की संरचना एवं ग्रामीण साख में इनकी भूमिका'' प्रशासनिक खण्ड संख्या 2, 2003, पृष्ठ 20–23
3. अनिल कुमार, ''एकीकृत जलग्रहण विकास'' प्रवेश बिन्दु एवं प्रशिक्षण सदंशिका भाग–द्वितीय शिपा प्रकाशन, जयपुर, 2011, पृष्ठ 5–13
4. कपूर विनोद, ''स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना'', जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर, 2002, पृष्ठ 1–5
5. राजेन्द्र बन्धु, ''महिलाओं ने बनाया अपना बैंक'', समाज कल्याण, जून, 2003, पृ. 24–25
6. अभय कुमार, जिला विकास अभिकरण, उदयपुर ''स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण'', 2003, पृ. सं. 3–5
7. राजस्थान पत्रिका (2016) :''ग्रामीण महिलाओं को बना रहे आत्मनिर्भर'' जून, 2016, पृ. सं. 16
8. कुमार अनिल (2011) : ''एकीकृत जलग्रहण विकास'' प्रवेश बिन्दु एवं प्रशिक्षण संदशिका, भाग–1, शिप्रा प्रकाशन, जयपुर।
9. त्रिपाठी मधुसुदन (2011) : ''स्वयं सहायता समूह और महिलाएँ'', खुशी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
10. राठौड़ टी. एस., ''महिला मण्डल निर्माण व सुदृढ़ीकरण'' महिला व बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, पृ. सं. 8–11